मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394] भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2010—श्रावण 6, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. 15845-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 28 जुलाई 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २१ सन् २०१०

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१०

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४-क और ४-ख का अंत:स्थापन.
४. धारा ९ का संशोधन.
५. धारा ११ का संशोधन.
६. धारा १४ का संशोधन.
७. धारा १७ का संशोधन.
८. धारा २०-क का संशोधन.
९. धारा २४-क, २४-ख और २४-ग का अंत:स्थापन.
१०. धारा ३९ का संशोधन
११. धारा ४६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१०

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में न्यायिक तथा लेखापाल सदस्यों से मिलकर बनेगा जितनी कि राज्य सरकार विनिश्चित करे.";

(दो) उपधारा (५) के परन्तुक का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) को उपधारा (१२) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१२) के पूर्व, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(६) बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई ऐसा सेवानिवृत्त सदस्य होगा, जो राज्य सरकार में मुख्य सचिव या भारत सरकार में सचिव के समतुल्य पदधारण कर चुका हो और जिसे कर प्रशासन का अनुभव हो.

(७) कोई न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य रह चुका हो, या ऐसा व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष तक कर संबंधी मामलों का अधिवक्ता रह चुका हो. कम से कम एक न्यायिक सदस्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

(८) कोई लेखापाल सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम दस वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय कर चुका हो या जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो. कम से कम एक लेखापाल सदस्य मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

(९) राज्य सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी; जो,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया हो; या

(ख) ऐसे अपराध का जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, सिद्धदोष ठहरा दिया गया है; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो:

परन्तु अध्यक्ष को उपरोक्त खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर राज्य सरकार द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि वह इस निमित्त विहित करे, जांच कर लेने और अध्यक्ष को ऐसे आधार का दोषी पाए जाने पर के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा:

परन्तु यह और कि बोर्ड के किसी सदस्य को केवल अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् ही पद से हटाया जा सकेगा.

(१०) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनको अलाभकारी रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.

(११) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो पद पर नहीं रह जाता है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या पक्ष समर्थन के लिए पात्र नहीं होगा.''.

धारा ४-क और ४-ख का अंतस्थापन.

३. अध्याय २ में, मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात:—

''**४-क. अपील बोर्ड के आदेश.**

(१) अपील बोर्ड, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह उचित समझे.

(२) अपील बोर्ड, आदेश की तारीख से चार कलैण्डर वर्ष के भीतर किसी भी समय, अभिलेख में दिखाई पड़ने पर किसी भूल का परिशोधन करने की दृष्टि से उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को परिशोधित कर सकेगा, और ऐसे परिशोधन यदि भूल किसी व्यापारी या किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है, कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई परिशोधन, यदि उसका उद्देश्य कर निर्धारण में वृद्धि करना या प्रतिदाय में कमी करना या किसी व्यापारी के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करना हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील बोर्ड ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना व्यापारी को न दे दी हो और व्यापारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो.

(३) धारा ४६ की उपधारा (६) के अधीन आवेदन पर, अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस से अनधिक की कालावधि के लिए स्थगन आदेश पारित कर सकेगा और अपील बोर्ड, उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है वह अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, स्थगन की

कालावधि में वृद्धि कर सकेगा या ऐसी और कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार स्थगन आदेश पारित कर सकेगा, जिससे कि मूलत: मंजूर की गई कालावधि और इस प्रकार बढ़ाई गई या मंजूर की गई कालावधि या कालावधियों का पूर्णयोग, किसी भी दशा में, तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक न हो और अपील बोर्ड इस प्रकार बढ़ाई गई या मंजूर की गई स्थगन की कालावधि या कालावधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा इस उपधारा के अधीन मंजूर की गई कालावधि या प्रथम परन्तुक के अधीन बढ़ाई या मंजूर की गई कालावधि या कालावधियों के भीतर, जो कि किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगी, नहीं होता है, तो ऐसी कालावधि या कालावधियों के समाप्त होने के पश्चात्, स्थगन आदेश, निष्प्रभावी हो जाएगा, भले ही अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ हो.

(४) किसी अपील के व्यय, यदि कोई हों, अपील बोर्ड के विवेक पर निर्भर करेगा.

(५) अपील बोर्ड इस धारा के अधीन पारित किए गये किसी आदेश की प्रति व्यापारी और आयुक्त को भेजेगा.

४-ख. अपील बोर्ड की प्रक्रिया.

(१) अपील बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन अपील बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित पीठों द्वारा किया जा सकेगा.

(२) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी खण्डपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा.

(३) एकल रूप में सुनवाई कर रहा अपील बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी प्रकरण में जो ऐसे व्यापारी से संबंधित हो जिसका कुल राशि (टर्न ओवर) जैसी कि प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई हो, साठ लाख रुपए से अधिक न हो, का निपटारा कर सकेगा, और अध्यक्ष, किसी विशेष प्रकरण में निपटारे के लिए तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली विशेष पीठ गठित कर सकेगा जिनमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा.

(४) यदि किसी बिन्दु पर पीठ के सदस्यों की राय में कोई अंतर है तो वह बिन्दु बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, यदि बहुमत तो है किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंटे हों तो वे उस बिन्दु या बिन्दुओं का विवरण देंगे जिन पर कि उनकी राय में अन्तर है, और मामला अपील बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपील बोर्ड के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं को अपील बोर्ड के उन सदस्यों के जिन्होंने कि मामले की सुनवाई की थी जिसमें वे सदस्य सम्मिलित हैं, जिन्होंने उसे पहले सुना था, बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा.

(५) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपील बोर्ड को, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों के संबंध में अपनी स्वयं की तथा उसकी पीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी इसमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं जहां कि पीठें उनकी बैठकें करेंगी.

(६) अपील बोर्ड को, उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा ३ में निर्दिष्ट कर प्राधिकारियों में निहित हैं और अपील बोर्ड के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९३ और २२८ के अर्थ के अंतर्गत तथा

भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९६ के प्रयोजन के लिये न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील बोर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का ३) की धारा १९५ तथा अध्याय ३५ के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय भी समझा जाएगा.''.

धारा ९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उक्त माल का विक्रय उन तेल कम्पनियों जो कि अधिसूचित की जाएं, में से किसी एक के द्वारा अधिसूचित तेल कम्पनियों में से किसी एक को किया जाता है.''.

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस माल पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, उन निर्बधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि माल का विक्रय किसी संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा उसकी किसी नियंत्रक कंपनी को किया जाता है.''.

धारा ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, शब्द ''पचास लाख'' के स्थान पर, शब्द ''साठ लाख'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१-ख) ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ऐसे माल का विक्रय करता है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, और व्यापासी, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर का भुगतान कर देने के पश्चात् क्रय किए गए माल का ऐसे अधिसूचित माल के विनिर्माण में उपयोग करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा, या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा. उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन दावा किए गए या अनुज्ञात आगत कर की रिबेट को, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.''.

धारा १७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४) (क) जिस दिन, उपधारा (१) या उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी आवेदक को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा.

(ख) खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों को ऐसे रीति में सत्यापित करेगा जैसी कि विहित की जाए.

(ग) यदि आयुक्त का खण्ड (ख) के अधीन सत्यापन कर लेने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध कर लेने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, उपधारा (१०) के खण्ड (ग) या खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार, खण्ड (क) अधीन आवेदक को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से जो तीन दिन से बाद की न हो, रद्द कर देगा.";

(दो) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१०) जब—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा यह आवेदन दिये जाने पर कि उसका कारबार बंद हो गया है या अंतरित हो गया है, या आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कारबार बंद हो गया है या अंतरित हो गया है; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा यह आवेदन दिये जाने पर कि उसका कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो गया है, या आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार अव्यवहित पूर्व वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा ५ के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं है; या

(ग) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, व्यापारी द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर कर दिया गया है; या

(घ) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या कोई अन्य राशि बकाया है, जो एक लाख रुपए से अधिक है और जो छह मास से अधिक बकाया बनी हुई है; या

(ङ) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसके द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रद्द किया जाना चाहिए,

तो आयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर सकेगा :

परन्तु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करना प्रस्तावित करता है, वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा.".

धारा २०-क का संशोधन:

८. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१-ख) उपधारा (१) और (१-क) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी अपेक्षाओं, निर्बन्धनों और शर्तों के, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर निर्धारण धारा २० की उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये कर दिया गया समझा जाएगा."

धारा २४-क, २४-ख और २४-ग का अंत:स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"२४-क वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण.

(१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २ सन् १९५९) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) के अधीन मामलों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी.

(२) वाणिज्यिक कर विभाग का भारसाधक मंत्री निपटारा प्राधिकरण का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

(३) निपटारा प्राधिकरण में वित्त, विधि और विधायी कार्य तथा वाणिज्यिक कर विभाग प्रत्येक से सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा जो सचिव की पदश्रेणी से कम का नहीं होगा.

(४) आयुक्त, वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा.

"२४-ख मामलों के निपटारे के लिये आवेदन

(१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २ सन् १९५९) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) के अधीन यदि कर, ब्याज और शास्ति की किसी रकम के संबंध में,—

(एक) किसी व्यापारी द्वारा कोई विवाद प्रस्तुत किया जाता है और विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है;

(दो) यदि अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के कारण किसी व्यापारी को कठिनाई हो रही है, तो ऐसा व्यापारी निपटारा प्राधिकारी को कर, ब्याज और शास्ति की रकम को निपटारे के लिये आवेदन कर सकेगा.

(२) रकम के निपटारे के लिये आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, प्रस्तुत किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) व्यापारी,—

(एक) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा में अविवादित कर की संपूर्ण रकम और विवादग्रस्त कर की राशि के पच्चीस प्रतिशत का;

(दो) उपधारा (१) के खण्ड (दो) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा में कर की संपूर्ण रकम का,

भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व करेगा.

"२४-ग. आवेदन के प्राप्त होने पर प्रक्रिया.

(१) निपट्यरा प्राधिकारी, निपटारे के लिये प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन पर व्यापारी को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, व्यापारी द्वारा देय रकम में सम्मिलित उद्गृहीत किए गए संपूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग और शास्ति में छूट प्रदान करने के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा.

(२) निपटारा प्राधिकारी, व्यापारी द्वारा उसको किए गए आवेदन और अनुरोध पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और उसके पश्चात् आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विनिश्चय करेगा.

(३) व्यापारी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति निपटारा आदेश जारी होने के पूर्व, निपटारा प्राधिकारी के समक्ष, प्रस्तुत की जाएगी.

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम व्यापारी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गई है, तो निपटारा प्राधिकारी निपटारा आदेश पारित करेगा. यदि जमा की गई रकम, निपटारा प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की गई रकम से कम है, तो शेष रकम, व्यापारी द्वारा, ऐसे समय के भीतर जो कि निपटारा प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए, जमा की जाएगी. शेष रकम जमा कर दिए जाने का प्रमाण प्राप्त होने पर, निपटारा प्राधिकारी, निपटारा आदेश पारित करेगा.

(५) निपटारा प्राधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर निपटारा आदेश छोड़ी गई ब्याज और शास्ति की शेष रकम दर्शाते हुए पारित करेगा.

(६) निपटारा प्राधिकारी, जब वह उचित समझे मामले को प्रत्यावर्तित कर सकेगा.

(७) निपटारे के किसी आदेश को आवेदक द्वारा उस मामले से भिन्न किन्हीं मामलों में, जिसमें कि निपटारा आदेश पारित किया गया है, किसी दावे का आधार नहीं बनाया जाएगा.

(८) इस धारा के अधीन निपटारा आदेश पारित कर दिए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अधीन, आवेदक के विरूद्ध, कोई दाण्डिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जाएगी. इसके बाद व्यापारी भी किसी अधिनियम के अधीन किसी रकम की वापसी या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

धारा ३९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में, शब्द "चालीस लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (८) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अपील बोर्ड, अपील फाईल करने की तारीख से एक कलैण्डर वर्ष के भीतर उसका लिखित में आदेश सुनाने का प्रयास करेगा" के स्थान पर, शब्द "अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाईल करने की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर करेगा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (८-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(८-ख) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० के प्रारंभ होने की तारीख को अपील बोर्ड के समक्ष लंबित अपीलों का निपटारा, अपील बोर्ड द्वारा उपधारा (८) में विनिर्दिष्ट कालावधि या ऐसे प्रारंभ से एक कलैण्डर वर्ष की कालावधि जो भी बाद में हो, के भीतर किया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१०-११ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कराधान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने, संकल्प २०१० में अंतर्विष्ट प्रशमन की सीमा बढ़ाकर रुपये ६० लाख करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने तथा कतिपय अन्य मुद्दों जैसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने के दिन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रुपये ४० लाख की सीमा को बढ़ाकर रुपये ६० लाख करने, के संबंध में मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है. इस अवसर पर कुछ अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाना है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

भोपाल:
दिनांक २४ जुलाई, २०१०.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-२ (एक) अपील बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या विनिश्चित किये जाने;

(तीन) (९) अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया विहित किये जाने:

खण्ड-४ (एक) तेल कम्पनियों को अधिसूचित करने

(दो) मालों को अधिसूचित करने

खण्ड-६ रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले माल को अधिसूचित किए जाने, आगत कर का भुगतान कर देने के पश्चात् क्रय किये गये माल का विनिर्माण में उपयोग किये जाने वाले माल को अधिसूचित करने एवं आगत कर की रिबेट का दावा की रीति तथा कालावधि सुनिश्चित करने;

खण्ड-७ (एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप विहित किये जाने, आवेदन में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित किये जाने;

खण्ड-८ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर निर्धारण किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं निबंधनों एवं शर्तों को अधिसूचित करने;

खण्ड-९ निपटारा आवेदन हेतु प्रारूप एवं रीति विहित किये जाने

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.